सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
रेफरेन्स प्रकरण सं0 89/2013
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर

प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ
2. रामेश्वरलाल
3. आत्माराम
4. लालचन्द

} पिसरान फूसराम जाति ब्राहम्ण निवासी सावंतसर तहसील पदमपुर।

5. गीतादेवी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर।
6. चन्द्रकान्ता पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर।

अप्रार्थी

रेफरेन्स भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
उपस्थिति : अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोडा

आदेश **दिनांक : 09.03.2018**

स्टेट की ओर से तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 3 ईई जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016, मु.न. 91 में 9.00, मु.न. 91/1 में 7.00 बीघा, मु.न. 91/2 में 12.00 बीघा, मु.न. 92 में 21.00 बीघा, मु.न. 92/1 में 11.00 बीघा, मु.न. 92/2 में 27.00 बीघा कुल 87 बीघा जोहड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मिसल बन्दोबस्त में मु. न. 91/2 को नया मु.न. 54 व मु.न. 92/2 को नया मु.न. 53 किया गया है। मिसल बन्दोबस्त खाता सख्या 02 में मु.न. 52 में 01.00, मु.न. 53 में 15,13, मु.न. 54 में 02,13 कुल 19.06 रकबा शिकस्त होकर तितम्मा शजरा नम्बर 1 पर शिवलाल पुत्र बींझाराम, भागीरथ पुत्र फूसाराम जाति ब्राहम्ण को गैर खातेदारी दर्ज किया गया है, जिसमें उक्त को मु.न. 26/1 में 10.00, 27/1 में 02श16 27/2 में 6.10 कुल 19.06 रकबा नहरी 19.04 बीघा खाला 0.02 बिस्वा दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 37 मु.न. 26/27 में 2.530 हैक्टर, 27/1 में 0.708 हैक्टर, 27/2 में 1.643 हैक्टर कुल 4.881 हैक्टर , नहरी 4.856 हैक्टर , खाला0.025 हैक्टर रकबा भागरथ पुत्र फूसाराम 2.441 हैक्टर, रामेश्वरलाल –आत्माराम–लालचन्द पि0 फूसाराम ब.हि.ब. 1.220 हैक्टर, गीतादेवी पत्नी मोहनलाल 0.915 हैक्टर, चन्द्रकान्ता पुत्री मोहनलाल 0.305 हैक्टर जाति ब्राहम्ण सा. सांवतसर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि की किस्म **जोहड पायतन** दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोडा उपस्थित आये । दिनांक 03.07.2015 को वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रकबा शिवलाल पुत्र बींझाराम , भागीरथ पुत्र फूसाराम को अलाट किया गया तथा गैरखातेदीर दर्ज किया गया है बिल्कुल सही दर्ज किया गया है क्योंकि रकबा का विक्रय/आवंटन दिनांक 29.09.1967 को हुआ है तथा रकबा राज होने के कारण ही सही तौर से आवंटन किया गया तथा समस्त राशि जमा करवाने के बाद आवंटन आदेश 13.11.1967 के आधार पर खातेदारी सन्द संख्या 036160/13.06.1990 को जारी की गई। इस सन्द के आधार पर रकबा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किया गया। इन्तकाल नम्बर 64/02.07.1990 की नकल शामिल है इसके पश्चात दस्तबरदारी आदि के कारण इन्तकाल नम्बर 275श 284, 294 व 295 दर्ज किये गये। रकबा जोहड पायतन दर्ज था बल्कि रकबा राज दर्ज होने के कारण इसका विक्रय/आवंटन किया गया तथा समस्त राशि जमा करवायी गई। अतः मामला किसी प्रकार से रेफरेंस का नहीं बनता है अगर आवंटन गलत किया गया होता तो स्टेट की और से सक्षम न्यायालय में निर्धारित समय में अपील पेश की जा सकती थी, मगर आज तक कोई अपील पेश नहीं की गई अब 48 साल के बाद इस प्रकार के रेफरेंस लाया जाना कतई गलत है इस प्रकार का एक मामला आर.आर.डी. 12 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जफर आदि में यही सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकार का मामला 40 साल के बाद रेफरेंस के माध्यम से लाया गया को तर्कसंगत ना मानकर अस्वीकार किया गया। रेफरेंस स्पष्ट तौर से गलत मियाद बाहर विधि विरूद्व होने से खारिज करने योग्य है आवंटन आदेश अपीलेवल आदेश था जिसके खिलाफ कोई अपील ना होने से आदेश फाईनल हो चुका है इसके अलावा समस्त रशि जमा करवाने के बाद जो सरकार के द्वारा जमा करवायी गई व सन्द जारी करने के बाद अब इस प्रकार की कार्यवाही कानूनन नहीं चल सकती स्टेट पर मसलस एस्टोपल भी लागू करता है क्योंकि उसके द्वारा स्वयं ही रशि जमा करवायी गई तथा सन्द जारी की गई, कब्जा 1967 से निरंतर अप्रार्थीयान का चला आ रहा है तथा भूमि में काफी सुधार किया गया है। अगर रकबा जोहड पायतन की जगह होती तो आवंटन के उपरांत तत्कालीन सरपंच आदि के द्वारा मामला उठाया जाता मगर आज तक किसी सरपंच आदि के द्वारा तथा गांव के किसी निवासी द्वारा इस प्रकार काक मामला नहीं उठाया गया कि अराजी जेर बहस जोहड पायतन की जगह है तथा जोहड पायतन के लिए आवश्यकता है इस प्रकार अब 48 साल बाद इस प्रकार का रेफरेंस किसी प्रकार कानूनन नहीं लिया जा सकता, रकबा मौके पर काश्त हो रहा है आज भी मौजूदा फसल काश्ता है तथा इस रकबा में भारी मेहनत लगाकर रूपया लगाकर सुधार हुआ है। अतः रकबा बहक सरकार द्वारा लेने से अप्रार्थीयान अपने व अपने परिवार के जीवन यापन से वंचित रहेगे। लिहाजा रेफरेंस मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीयान द्वारा निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.डी.(2012) पेज–61
2. आर.आर.टी. 2011–12 पेज–690

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रैफरेंस में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11 एवं माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा भी **जोहड़ पायतन** की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के सलंग्न सांवतसर पटवारी हल्का की रिपोर्ट 27.01.2013 के मुताबिक पटवार मण्डल सावंतसर के चक 3 ईई सम्वत् 2013-16 में मु0न0 91/9.00, 91/1 की 7.00, 91/2 की 12.00 बीघा, 92/21.00 बीघा, 92/1 की 11.00 बीघा, 92/2 की 27.00 कुल 87.00 बीघा **जोहड दर्ज** रिकॉर्ड है। मिसल बन्दोबस्त में मु.न. 91/2 को मु.न. 54 व मु.न. 92/2 को मु.न. 53 किया गया है। मिसल बन्दोबस्त के खातस संख्या 2 में से मु.न.52/1.00 , मु.न 53 का 15 बीघा 13 बिस्वा, मु.न. 54 में 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 19 बीघा 6 बिस्वा शिकस्त होकर तितम्मा नम्बर 1 पर शिवलाल पुत्र बीझा राम, भागीरथ पुत्र फूसाराम जाति ब्राहम्ण को गैरखातेदार दर्ज किया गया है। जिसमें मुरब्बा नम्बर 27/2 में 10 बीघा, 27/1 में 2 बीघा 16 बिस्वा, मु.न. 27/2 में 6.10 बीघा कुल 19 बीघा 6 बिस्वा नहरी 19.4 खाला 4 बिस्वा दर्ज हुआ है। और वर्तमान रिकार्ड अनुसार भागीरथ पुत्र फूसाराम का 2.448 हैक्टर, रामेश्वरलाल ,आत्माराम , लालचन्द पि0 फूसाराम ब.हि.ब. 1.220 हैक्टर , गीतादेवी पत्नी मोहनलाल 0.915 हैक्टर, चन्द्रकान्ता पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण 0.503 हैक्टर के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी है। इस प्रकार उक्त रकबा पर उपरोक्तानुसार मौके पर कब्जाकाश्त है।

पत्रावली में उपलब्ध चक 3 ईई की जमाबन्दी सम्वत 2013-2016 मु.न. 91 में 9.00, मु.न. 91/1 में 7.00 बीघा, मु.न. 91/2 में 12.00 बीघा, मु.न. 92 में 21.00 बीघा, मु.न. 92/1 में 11.00 बीघा, मु.न. 92/2 में 27.00 बीघा कुल 87 बीघा जोहड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मिसल बन्दोबस्त में मु.न. 91/2 को नया मु.न. 54 व मु.न. 92/2 को नया मु.न. 53 किया गया है। मिसल बन्दोबस्त खाता सख्या 02 में मु.न. 52 में 01.00, मु.न. 53 में 15,13, मु.न. 54 में 02,13 कुल 19.06 रकबा शिकस्त होकर तितम्मा शजरा नम्बर 1 पर शिवलाल पुत्र बींझाराम, भागीरथ पुत्र फूसाराम जाति ब्राहम्ण को गैर खातेदारी दर्ज किया गया है, जिसमें उक्त को मु.न. 26/1 में 10.00,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

27/1 में 02श16 27/2 में 6.10 कुल 19.06 रकबा नहरी 19.04 बीघा खाला 0.02 बिस्वा दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 37 मु.न. 26/27 में 2.530 हैक्टर, 27/1 में 0.708 हैक्टर, 27/2 में 1.643 हैक्टर कुल 4.881 हैक्टर , नहरी 4.856 हैक्टर , खाला0.025 हैक्टर रकबा भागरथ पुत्र फूसाराम 2.441 हैक्टर, रामेश्वरलाल –आत्माराम–लालचन्द पि0 फूसाराम ब.हि.ब. 1.220 हैक्टर, गीतादेवी पत्नी मोहनलाल 0.915 हैक्टर, चन्द्रकान्ता पुत्री मोहनलाल 0.305 हैक्टर जाति ब्राहम्ण सा. सांवतसर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि की किस्म **जोहड पायतन** दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म **जोहड पायतन** दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड दर्ज किया जावे।

*अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि की किस्म **गैरमुमकिन जोहड** होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा **राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(146)राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26–06–12** में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11, माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 किया है एवं **माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–05–12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके Water Flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दियेगये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31–10–1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बॉध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं,** के आलोक में आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार पदमपुर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।*

आदेश आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर